न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 583 सन 2018

अनवान :–

1. ईलायची पत्नी स्व कासम अली जाति मुसलमान निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।

वादीया

बनाम

1. रहिशा 2. खेरून 3. आसमीन पुत्रीयान स्व कासम अली जाति मुसलमान निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
4. इस्लाम खां 5. ईशाक खां पि0 कासम अली जाति मुसलमान निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री विजय सिंह कडवासरा अधिवक्ता अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 16/8/209

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 888 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा 6 बारानी के खाता संख्या 70/71 के प0न0 306/421(382) किला न0 21/0.2530 ,22/0.2530 ,23/0.2530 ,कुल 0.759हैक भूमि वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 पति व पिता के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है ।

कासम अली पुत्र महमूद खां जाति मुसलमान निवासी ढाणी अराईयान फोत हो चुका है तथा वादीया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 उसके जायत वारिसान है उक्त भूमि कासम अली के देहान्त होने के वाद कासम अली के वारिसान वादीया एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 5 के कब्जा काश्त में चली आ रही है प्रतिवादी सख्या 1 ता 5 ने वाद भूमि कभी काश्त नही की गई एव परिवार की शान्ति व सदभावना बनाये रखने के लिये प्रतिादी सख्या 1 ता 5 का वाद भूमि मे जो हक हिस्सा था वह वादीया अपनी माता के पक्ष में त्याग कर दिया है वर्तमान मे वादीया अकेली ही वाद भूमि काश्त करती आ रही है।

वाद भूमि की वादीया अकेली हकदार है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादीया के पति कासम अली के नाम से दर्ज है जिससे वादीया के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादीया अपने हक हिस्सा की भूमि का अपने नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को कई मर्तबा कहा की उसके हक हिस्सा की भूमि को उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनो तक तो आज कल आज कल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वाद वादीया डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा 6 बारानी के खाता सख्या 70/71 के प0न0 306/421(382) किला न0 21/0.2530 ,22/0.2530 ,23/0.2530 ,कुल 0.759हैक भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया के पित कासम अली के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादीया का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वय न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर जवाब दावा पेश किया गया शामिल पत्रावली किया गया वादीया ने साक्ष्य में अपना शपथ पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षो को सुना गया।

वकील वादीया के अधिवक्ता ने अपने बहस मे अपने वाद में अकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा 6 बारानी के खाता संख्या 70/71 के प0न0 306/421(382) किला न0 21/0.2530 ,22/0.2530 ,23/0.2530 ,कुल 0.759हैक भूमि वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 पति व पिता के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है ।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

Scanned with CamScanner

कासम अली पुत्र महमूद खां जाति मुसलमान निवासी ढाणी अराईयान फोत हो चुका है तथा वादीया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 उसके जायत वारिसान है उक्त भूमि कासम अली के देहान्त होने के वाद कासम अली के वारिसान वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के कब्जा काश्त में चली आ रही है प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने वाद भूमि कभी काश्त नही की गई एव परिवार की शान्ति व सदभावना बनाये रखने के लिये प्रतिादी संख्या 1 ता 5 का वाद भूमि में जो हक हिस्सा था वह वादीया अपनी माता के पक्ष में त्याग कर दिया है वर्तमान में वादीया अकेली ही वाद भूमि काश्त करती आ रही है।

वाद भूमि की वादीया अकेली हकदार है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादीया के पति कासम अली के नाम से दर्ज है जिससे वादीया के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीया अपने हक हिस्सा की भूमि का अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के अधिवक्ता ने अपने जबाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वाद भूमि वादीया के पति कासम अली के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसका देहान्त हो गया है साक्ष्य सबुतों के आधार पर वादीया अपने वाद को स्वय साबित करे एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा 6 बारानी के खाता संख्या 70/71 के प0न0 306/421(382) किला न0 21/0.2530 ,22/0.2530 ,23/0.2530 ,कुल 0.759हैक्ट कासम अली पुत्र महमूद खां के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

कासमअली पुत्र महमूद खा जाति मुसलमान साकिन ढाणी अराईयान का देहान्त हो चुका है जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र से पूर्णत्या साबित है कासम अली पुत्र महमूद के जायज वारिसान वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्र से साबित है।

वादीया का कथन है वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का जो भी हक हिस्सा था उसे प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने वादीया अर्थात अपनी माता के पक्ष मे त्याग किया हुआ है वादीया के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर जबाब पेश कर निवेदन किया गया है कि उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीया के पक्ष में किया जा चुका है वर्तमान में वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वाद भूमि वादीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही आदिनांक होता है।

इसप्रकार वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने के कारण वाद वादीया साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 बारानी के खाता संख्या 70/71 के प0न0 306/421(382) किला न0 21/0.2530 ,22/0.2530 ,23/0.2530 ,कुल 0.759हैक्ट भूमि जो वर्ममान में मृतक कासम अली पुत्र महमुद के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है ।इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16/8/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सैयद शीराज अली जैदी (आर ए एस)

अनवान :-

1. ईलायची पत्नी स्व कासम अली जाति मुसलमान निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।

वादीया

बनाम

1. रहिशा 2. खेरून 3. आसमीन पुत्रीयान स्व कासम अली जाति मुसलमान निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
4. इस्लाम खां 5. ईशाक खां पि0 कासम अली जाति मुसलमान निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 583 सन 2018 निर्णय दिनांक- 16/8/2019

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीगण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 बारानी के खाता सख्या 70/71 के प0न0 306/421(382) किला न0 21/0.2530 ,22/0.2530 ,23/0.2530 ,कुल 0.759हैक भूमि जो वर्तमान में मृतक कासम अली पुत्र महमुद के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है ।इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/8/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
(हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर

Scanned with CamScanner